मोदी टेलीफाईबर्स लिमिटेड

बनाम

उत्तरप्रदेश विद्युत बोर्ड व अन्य

06 दिसम्बर, 2007

(आर. वी. रविन्द्रन एवं पी सदाशिवम्, जे.जे.)

विद्युत - विद्युत आपूर्ति-एक कम्पनी को-उपभोक्ता कम्पनी अपने कारखाने एवं आवासीय काॅलोनीज के लिये विद्युत आपूर्ति का उपयोग कर रही थी-आपूर्ति समझौते (एग्रीमेन्ट) के अन्तर्गत दो वर्ष पूर्ण हुये बिना समझौते की समाप्ति नही हो सकती थी- कारखाने के बंद होने के मध्यनजर कम्पनी ने आपूर्ति विच्छेद करने का निवेदन किया-दो वर्ष समाप्त होने के बाद ऐसा कोई निवेदन नही किया गया-कारखाने के बंद होने के पश्चात् काॅलोनीज के लिये विद्युत आपूर्ति का प्रयोग किया गया-विद्युत बोर्ड द्वारा बिल जारी किया-कम्पनी का उत्तरदायित्व माना गया-अभिनिर्धारित किया गया कि कम्पनी ने विद्युत आपूर्ति का उपभोग बिल के भुगतान के लिये उत्तरदायी थी। अतः बिल का भुगतान करने कम्पनी आवासीय काॅलोनीज में विद्युत आपूर्ति के द्वारा किये गये उपभोग के दायित्व से बच नहीं सकती, क्योंकि यह आवासीय काॅलोनीज में आपूर्ति

रोकने में असफल रही, साथ ही यह आवासीय काॅलोनीज के लिये पृथक से घरेलू कनेक्शन लेने में भी असफल रही।

अपीलार्थी-कम्पनी ने प्रत्यर्थी बिजली बोर्ड से विद्युत आपूर्ति के लिये कनेक्शन लिया था। कम्पनी अपने उस कनेक्शन के द्वारा आवासीय काॅलोनीज को विद्युत की आपूर्ति करती थी। अपीलार्थी ने अपनी उस ईकाई को बंद करने का निश्चिय किया तथा उसे ध्यान में रखते हुये प्रत्यर्थी बोर्ड को बार-बार विद्युत आपूर्ति को स्थायी रूप एफबंद करने एवं आवासीय काॅलोनीज को पृथक से कनेक्शन जारी करने का निवेदन किया। उसके पश्चात् कम्पनी को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। इस प्रकार बंद होने की दिनांक से कम्पनी अपने कारखाने के लिये विद्युत ऊर्जा का उपयोग नही कर रही थी, लेकिन आवासीय काॅलोनीज को दिया जाना जारी रहा था। प्रत्यर्थी बोर्ड ने एक बिल कुछ राशि की मांग करते हुये जारी किया, जिसमें फैक्ट्री को एवं आवासीय क्वाटर्स को की गई विद्युत आपूर्ति (आवास) का शुल्क और जुर्माना आदि सम्मिलित थे। अपीलांट द्वारा उस बिल का विरोध किया गया। उपखण्ड मजिस्टे[a]ट ने कारखाने पट्टे धारी को किराये का 50 प्रतिशत सरकार में जमा करवाने का आदेश दिया, जो राशि सरकारी बकाया थी। अपीलार्थी ने आदेश के खिलाफ रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने याचिका को यह अभिनिर्धारित करते हुये खारिज किया कि अपीलार्थी बिल के भुगतान के लिये दायी है, क्योकिं वह विद्युत आपूर्ति का उपभोग कर रहा था। अतः यह वर्तमान अपील पेश हुयी।

अपील खारिज करते हुये न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि-

1. अपीलार्थी ने उपभोक्ता होते हुये प्रश्नगत सर्विस कनेक्शन द्वारा विद्युत का उपभोग किया है, जिसके लिये राशि का भुगतान करना पड़ेगा। अपने आप विद्युत आपूर्ति काटने में असफल रहने से अपीलार्थी प्रत्यर्थी पर कनेक्शन नही करने का दोषारोपण नही कर सकता। अपीलार्थी अपने कर्मचारियो की आवासीय काॅलोनी के लिये पृथक से बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिये आवश्यक शुल्क, मूल्य एवं बिजली कनेक्शन जारी करने हेतु आवश्यक प्रावधानो की पूर्ति करके प्रभावी कदम उठा सकता था। अपीलार्थी प्रत्यर्थी तक पहुॅच कर आवश्यक शुल्क, मूल्य तथा विद्युत अधिनियम विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम एवं उसमें बनाये नियम एवं विनियम के प्रावधानो की पूर्ति करते हुये अपने कर्मचारियो की आवासीय काॅलोनी में पृथकतः कनेक्शन उपलब्ध करवाने हेतु प्रभावी कदम उठा सकता था। जिसमें वह असफल रहा। सभी प्रांसगिक तथ्य पर विचार कर उच्च न्यायालय ने सही रूप से खारिज किया है। (पैरा 9 एवं 10) (1042-जी; 1043-बी, सी, डी)

2. अपीलार्थी आवासीय काॅलोनी में उपभोग की गई बिजली के बिल के उतरदायित्व से नही बच सकता। अपीलार्थी द्वारा तीन बार स्थायी रूप से विद्युत कनेक्शन काटने की प्रार्थना पर कोई कार्यवाही नही की गई, क्यांेकि दिनांक 30.09.1994 को हुये आपूर्ति समझौते को इसकी शर्तो के

अनुसार दो वर्ष में पूर्ण होने से पूर्व समाप्त नही किया जा सकता था। महत्वपूर्ण रूप से दिनांक 30.09.1996 को 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् स्थायी रूप से कनेक्शन काटने का कोई पत्र नही था। जहां तक दिनांक 16.06.1994 को आवासीय आवासों (क्वाटर्स) में विद्युत आपूर्ति हेतु लिखे गये पत्र का सवाल है, उसका पश्चात्वर्ती दिनांक 30.09.1994 के समझौता जो कि आवासीय कालोनी में स्पलाई को पृथक करने के बिना था, के परिपेक्ष्य में कोई महत्व नही रहा जाता है। (पैरा 8)

3. अन्य वैकल्पिक तर्को के सम्बन्ध में जो कि अत्यधिक राशि का बिल जारी करने, सुरक्षा जमा राशि का समायोजन नही करने, का सम्बन्ध है, उनका अनुरोध उच्च न्यायालय के समक्ष नही किया गया था। इसलिए प्रथम बार इस न्यायालय के समक्ष भी अनुरोध/निवेदन/प्रार्थना नही किया जा सकता है। यदि अधिशेष दिखाई गई राशि की संगणना में किसी प्रकार की भूल है, तो उस विवाद को पृथकतः प्रत्यर्थी के समक्ष ले जा सकता है। (पैरा 10) (1043-डी, ई)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नं. 5976/2001.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय एवं अन्तिम आदेश दिनांकित 23.09.1999 से सिविल विधि रिट याचिका नम्बर 37862/1999

राजीव दत्ता, सुरभू शर्मा, मिलांका चैधरी एवं एम.ए.चिन्नासामी अपीलार्थी की ओर से

प्रदीप मिश्रा प्रत्यर्थी की तरफ से

न्यायालय का निर्णय जारी किया गया।

पी. सथाशिवम, जे.

(1) यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा सिविल विविध रिट याचिका संख्या 1999 की 37862 में दिये गये अन्तिम निर्णय एवं आदेश, दिनांकित 23.09.1999 के विरूद्व पेश हुयी है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया था।

पृष्ठभूमि के तथ्य:

(2) अपीलार्थी मोदी टेली फाईबर लि0 मोदीनगर जिला गाजियाबाद में धागा बनाने का व्यापार कर रही थी। तब अपीलार्थी कम्पनी को विभिन्न कारणो से जैसे उत्पादन में कमी, प्रक्रियात्मक खर्चो की पूर्ति हेतु पूंजी निधि की अनुपब्लता आदि जो कि अपीलार्थी के नियंत्रण के बाहर थे, भारी नुकसान होना प्रांरभ हो गया। अपीलार्थी कम्पनी को उत्पादन में कमी संचालन के लिये आवश्यक खर्चो की पूति हेतु पूंजी निधि की अनुपब्लता आदि अनेक कारणो से जो उसके नियन्त्रण से बाहर थे, भारी नुकसान होना शुरू हो गया।

अपीलार्थी ने दिनांक 16.06.1994 को प्रत्यर्थी नंबर 1 यू.पी. राज्य विद्युत बोर्ड (जिसें यहां यूपीएसईबी से संबोधित किया जायेगा) को आवासीय काॅलानीज को सीधे ही बिजली आपूर्ति किये जाने के लिये पत्र

लिखा जैसा कि अपीलार्थी निधि की कमी होने से सीधे ही भुगतान करने में असक्षम था। यहां पर यह वर्णित करना आवश्यक है कि आवासीय कॉलोनीज को बिजली की आपूर्ति मोदी टेली फाईबर्स लिमिटेड के द्वारा सर्विस कनेक्शन नंबर 1008 के माध्यम से की जा रही थी। अपीलार्थी कम्पनी ने यूपीएसईबी के साथ पूर्व का समझौता दिनांकित 28.09.1983 के स्थान पर दिनांक 30.09.1994 को उपर्युक्त सर्विस कनेक्शन के माध्यम से 11 के वी वॉल्टेज का 4000 के वी ए लोड (भार) की बिजली आपूर्ति करने का समझौता किया। यहां यह वर्णित करना भी उचित होगा कि 6746700 रूपये की राशि यूपीएसईबी में पास धरोहर (सुरक्षा) राशि के रूप में जमा है, जबकि अपीलार्थी कम्पनी एवं आवासीय कॉलोनीज के द्वारा उपभोग की गई बिजली बिलो का भुगतान करता रहा है। अपीलार्थी ने दिनांक 30.06.1995 को यूपीएसईबी को एक अन्य पत्र यह सूचना देते हुये लिखा कि सरकार को उसकी इकाई को बंद करने के लिये सरकार को पत्र लिखा गया है, तथा यूपीएसईबी को सर्विस कनेक्शन नंबर 1008 के द्वारा की जा रही बिजली आपूर्ति को स्थायी रूप से बंद कर उसके पूर्व के पत्र पर पुर्नविचार कर आवासीय कॉलोनीज को पृथकतः घरेलू कनेक्शन जारी करने की प्रार्थना की, तथा पुनः ध्यान दिया जावे कि दिनांक 01.08.1995 से अपीलार्थी कम्पनी बिजली आपूर्ति के लिये भुगतान करने हेतु दायी नही होगी। बार बार प्रार्थनाएं करने के बावजूद भी यूपीएसईबी द्वारा सर्विस कनेक्शन नम्बर 1008 द्वारा कम्पनी एवं आवासीय कॉलोनी को बिजली

की आपूर्ति वाणिज्यक दरो पर निरनतर करती रही। जवाब में प्रत्यर्थी संख्या 2 ने पत्र दिनांकित 13.07.1995 द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया कि सिर्फ वह व्यक्ति जिसने यूपीएसईबी के साथ समझौता हस्ताक्षरित किया था वही स्थायी रूप से कनेक्शन कटवाने हेतु आवेदन करने में सक्षम है, अतः अपीलार्थी की स्थायी रूप से कनेक्शन काटने की प्रार्थना पर विचार नही किया जा रहा है। इसके पश्चात् दिनांक 07.08.1995 को उस समय के अपीलार्थी कम्पनी के अध्यक्ष (चैयरमैन) जिन्होने समझौते पर पर हस्ताक्षर किये थे, ने स्थायी कनेक्शन काटने एवं पृथकतः आवासीय कॉलोनीज के लिये घरेलू कनेक्शन उपलब्ध करवाने हेतु कि पुनः स्मरण करवाते हुये कि पत्र लिखा कि दिनांक 06.09.1995 से कम्पनी आपूर्ति के लिए दायी नही होगी। इसके पश्चात् अपूर्णीय भारी नुकसान के कारण दिनांक 04.09.1995 को कम्पनी को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया तथा बंद होने का एक नोटिस दिनांकित 02.09.1995 इसके सभी कर्मचारियो को जारी कर दिया गया। यह स्वीकृत तथ्य है कि कम्पनी दिनांक 04.09.1995 से इसके कारखाने के लिए विद्युत उर्जा उपयोग नही कर रही थी, लेकिन आवासीय कॉलोनीज को विद्युत सर्विस कनेक्शन नंबर 1008 के द्वारा ही दी जा रही थी। अपीलार्थी यूपीएसईबी के ध्यान में यह भी लाया कि कॉलोनी के निवासियों से विद्युत बकाया राशि पुर्नभरण हेतु उच्च न्यायालय ने एक अन्य समान मामले में आदेश पारित किया है

जिसके अनुसरण में आवासीय आवासो में निवास करने वाले व्यक्तियो से सीधे बिल वसूल किये जा रहे है।

इन परिस्थितियो में अपीलार्थी की पुनः प्रार्थना है कि वह समस्त संरचनात्मक ढाॅचे को बिना किसी मूलय के सौंप देगा जो कि वह पहले से ही आवासीय काॅलोनीज को पृथकतः घरेलू कनेक्शन उपलब्ध करवाता रहा है, तथा तुरन्त प्रभाव से सर्विस कनेक्शन के द्वारा की जा रही विद्युत आपूर्ति तुरन्त बंद की जावे। यधपि अपीलार्थी की प्रार्थना पर कोई ध्यान नही दिया गया तथा यूपीएसईबी ने बिलो का भेजा जाना जारी रखा, जिनमें आवासीय काॅलोनीज के आवासो द्वारा उपभोग की जा रही बिजली के बिल भी सम्मिलित थे। उसी समय अपीलार्थी कम्पनी को ऋण देकर वित्तीय सहायता करने वाली पंजाब नेशनल बैंक ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष वसूली कार्यवाहीयां प्रांरभ कर दी। न्यायाधिकरण ने एक अन्तरिम आदेश पारित किया जिससे अपीलार्थी को कारखाना परिसर को पट्टे पर देने से रोक दिया गया था। इस आदेश के विरूद्व अपीलार्थी ने संविधान के अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसके विस्तृत आदेश दिनांकित 08.03.1999 के द्वारा अपीलार्थी को कारखाना को पट्टे पर देने की अनुमति इस निर्देश के साथ दी गई कि किराये का 50 प्रतिशत भाग सीधे पंजाब नेशनल बैंक को दिया जावेगा। इसकें पश्चात् पट्टा गृहिता से किराये का 50 प्रतिशत भाग बैंक द्वारा एवं 50 प्रतिशत किराया अपीलार्थी द्वारा प्राप्त किया गया।

(3) यूपीएसईबी दिनांक 24.02.1999 को एक बिल राशि 113580301 रूपये का अप्रेल 1995 से फरवरी 1999 की अवधि का अपीलार्थी से मांग करते हुये जारी कियार, जिसमें कारखाने को की गई बिजली आपूर्ति तथा आवासीय आवासो को की गई बिजली आपूर्ति का शुल्क एवं अधिभार व जुर्माना राशि आदि सम्मिलित थे। अपीलार्थी ने उस बिल का दिनांक 24.04.1999 को यह कथन करते हुये विरोध किया कि यह बार बार इसका विरोध कर चुका है और कम से कम प्रथमतः कारखाने के 04.09.1995 को बंद होने के बाद कारखाने के द्वारा कोई बिजली उपभोग नही किया गया और ना ही उपयोग में ली गई और आवासीय आवासो द्वारा किये गये उपभोग के बिल है, जिनकें लिए कई बार और बार बार पृथकतः कनेक्शन के लिये प्रार्थना की जा चुकी थी।

(4) दिनांक 24.07.1999 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट मोदी नगर जिला गाजियाबाद ने एक आदेश पट्टा ग्रहिता लकी टैक्स स्पीनर्स प्रा. लि. को निर्देशित करते हुये जारी किया कि क्योंकि अपीलार्थी पर 116161574.31 रूपये सरकार को देय है अतः किराये का 50 प्रतिशत कुर्क किया गया और आगे भी सीधे भुगतान आदेश द्वारा इतनी राशि तहसीलदार को भुगतान करता रहे। यूपीएसईबी ने पुनः दिनांक 31.07.1999 को एक बिल राशि 13,40,42,018 रूपये का जारी किया। उसी समय अपीलार्थी ने बी.आई.एफ.आर. के समक्ष बीमार औधोगिक कम्पनीज अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत एक रेफरेन्स किया। दिनांक 20.08.1999 को

अपीलार्थी ने अपना विरोध पुनःअपने आधार को दोहराते हुये अपना विरोध किया कि वो भुगतान के लिये दायी नही है, और बिलो को निरस्त करने हेतु यूपीएसईबी को पुनः लौटा दिये। उपखण्ड मजिस्ट्रेट के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका पेश की। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने आदेश दिनांकित 23.09.1999 के द्वारा रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि मात्र अपीलार्थी द्वारा यूपीएसईबी को आवासीय काॅलोनीज को पृथकतः घरेलू कनेक्शन उपलब्ध करवाने हेतु सूचना दे दी थी कि यह जानते हुये कि वे पूर्व से ही बिजली/ऊर्जा का उपभोग सर्विस कनेक्शन नं. 1008 के द्वारा समझौते की शर्तो के अनुसार कर रहे थे। उसका दायित्व खत्म नही हो जाता है। उच्च न्यायालय का मत रहा है कि एक तरफ बिजली विच्छेद के लिये प्रार्थना की गई और दूसरी तरफ लगातार उपभोग किया, वह छोटी अवधि के लिये नही अपितु कई वर्षो तक उपभोग किया। एक मात्र निष्कर्ष यह था कि उपभोक्ता बिजली आपूर्ति का उपभोग कर रहा था और इस प्रकार उपभोग की गई बिजली के भुगतान का दायित्व बरकरार रखा जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के आदेश से अंसतुष्ट होकर अपीलार्थी ने उपर्युक्त अपील पेश की।

(5) हमने अपीलार्थी की तरफ से विद्वान अधिवक्ता राजीव दत्ता तथा प्रत्यर्थी की तरफ से विद्वान काउन्सलर प्रदीप मिश्रा को सुना।

(6) अपीलार्थी की शिकायत यह है कि उनकी मील बंद होने के बाद आवासीय कालोनीज को बिजली की आपूर्ति बंद करने एवं उनके कर्मचारियो के आवासीय क्वाटर्स (आवासो) को पृथकतः कनेक्शन उपलब्ध करवाने बाबत् अनेको पत्रो एवं स्मरण पत्रो के द्वारा प्रार्थनाएं करने के बावजूद भी प्रत्यर्थी जिसमें फैक्ट्री को एवं आवासीय क्वाटर्स को की गई विद्युत आपूर्ति (आवास) का यूपीएसईबी बिजली उपभोग शुल्क का दावा अपीलार्थी से अनुचित रूप से कर रहा है। वैकल्पिक रूप से यह भी प्रस्तुत किया गया कि मार्च 1995 तक का भुगतान उसने कर दिया था। फिर भी यदि उनकी कम्पनी के बंद होने की दिनांक 10.09.1995 तक की अवधि के बिजली बिल ही हिसाब (खाते) में लिये जाने चाहिये, जबकि 01.04.1995 से 10.09.1995 तक की अवधि की कुल बिल राशि 1,14,10,734.00 रूपये होती है, जिससे 4984894 रूपये की राशि आवासीय आवासो को की गई बिजली आपूर्ति के है जिनके लिये अपीलांट दायी नही है, जैसा कि उसने जून, 1994 में इस बाबत् नोटिस दे दिया था। इस प्रकार अपीलार्थी का यूपीएसईबी के प्रति दिनांक 10.09.1995 तक स्वीकृत दायित्व 67,46700/रूपये आता है तथा उसका समायोजन करने के पश्चात् वह यूपीएसईबी से 3,20,860/रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है।

(7) यह निर्विवाद है कि अपीलार्थी को विद्युत कनेक्शन नम्बर 1008 विद्युत आपूर्ति हेतु उपलब्ध करवाया गया था तथा एक समझौता 4000 के वी ए विद्युत भार की आपूर्ति हेतु दिनांक 30.09.1994 को निष्पादित किया

गया था। प्रत्यर्थी यूपीएसईबी की ओर से दायर जवाबी शपथ पत्र में विशेष रूप से वर्णित किया गया है कि यूपीएसईबी पूर्ववर्ती उत्तरप्रदेश विद्युत निगम के पास अपीलार्थी के कर्मचारियो की कॉलोनी में विद्युत आपूर्ति हेतु ना तो वितरण के और ना ही उसकें योगदान को नियंत्रण करने के साधन थे। वास्तव में जवाबी शपथ पत्र में बोर्ड ने कथन किया है कि उनको अपीलार्थी द्वारा अपने कर्मचारी को विद्युत आपूर्ति करने की व्यवस्था करने के बारे में कोई जानकारी नही थी कि कौनसी शर्तो व नियमों पर आपूर्ति की गई जैसे कि क्या यह निशुल्क थी या उपयोग की गई बिजली का मूल्य उनकी मजदूरी में से काटा गया। उनके अनुसार अपीलार्थी उनका उपभोक्ता था और 4000 के वी ए की थोक आपूर्ति उसको दी जा रही थी एवं औधोगिक एवं आवासीय कनेक्शन में विभाजन नही था।

(8) अपीलार्थी की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान समझौते में उपबन्धित अनेक खण्डो एवं अपीलार्थी के कर्मचारियो के निवास स्थानो के बिजली आवासीय कॉलोनी बिजली को स्थायी रूप से काटने एवं उनके कर्मचारियो की अलग से बिजली मीटर लगाये जाने के लिये पत्रो द्वारा की गई प्रार्थनाओ की तरफ आकृष्ठ किया है, तथा निवेदन किया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा उनके विरूद्व उपभोग की गई बिजली के बकाया राशि की मांग करना न्यायोचित नही था। हमने अपीलार्थी द्वारा की गई प्रार्थनाओ का सत्यापन किया। प्रत्यर्थी ने सही ध्यान दिलवाया है तथा वास्तव में इस बाबत् कोई विवाद भी नही है कि अपीलार्थी के कारखाने को

सर्विस कनेक्शन नंबर 1008 के द्वारा बिजली आपूर्ति हेतु बिजली कनेक्शन दिया गया था तथा उसी दिन दिनांक 30.09.1994 को ही इस बाबत् अपीलार्थी द्वारा एक समझौता निष्पादित किया गया था। इसी कनेक्शन से अपीलार्थी के कारखाने को एवं आवासीय काॅलोनी को विद्युत आपूर्ति की गई। अपीलार्थी के कनेक्शन नंबर 1008 द्वारा की गई थी। इसलिये अपीलार्थी आवासीय काॅलोनीज में उपभोग की गई विद्युत के दायित्व से नही बच सकते है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थी द्वारा स्थायी विच्छेद के लिये जो प्रार्थनाएं दिनांक 30.06.1995, 13.07.1995 एवं 07.08.1995 को की गई, उन पर आपूर्ति समझौते दिनांकित 30.09.1994 के निबन्धनो के आधार पर कार्यवाही नही की गई। जिसके अनुसार अनुबन्ध को 2 वर्ष से पूर्व समाप्त नही किया जा सकता था। महत्वपूर्ण यह है कि दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् जो कि 30.09.1996 है, के बाद स्थायी विच्छेदन हेतु कोई निवेदन नही किया गया थां जहां तक पत्र दिनांक 16.06.1994 का सम्बन्ध वह पश्चात्वर्ती दिनांक 30.09.1994 को आवासीय काॅलोनी की आपूर्ति को अलग किये बिना किये गये समझौते के परिप्रेक्ष्य में महत्वहीन हो जाता है।

(9) यूपी पावर निगम की तरफ से पेश किये गये अतिरिक्त शपथ पत्र में सही वर्णित किया गया है कि उस स्थिति में जबकि अपीलार्थी अपने कर्मकारो की आवासीय काॅलोनी को बिजली आपूर्ति नही करना चाहते थे, तो वे अपने वितरण के मुख्य स्विच जो कि पूरी तरह उनकी अभिरक्षा और

कब्जे में था, को बंद कर सकते थे। स्वीकृत रूप से यह उपलब्ध होने के बावजूद भी अपीलार्थियो ने ऐसा नही किया, क्योकिं उनको कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने का अंदेशा था। उनके स्वयं के द्वारा बिजली आपूर्ति विच्छेद करने में असफल होते हुये अपीलार्थी, प्रत्यर्थी को बिजली आपूर्ति को नही काटने के लिये दोष नही लगा सकते। यह सत्य है कि अपीलार्थी द्वारा किये गये अनुरोधो पर विचार कर उतरदाता/बोर्ड अपीलार्थी के कर्मचारियो में लाभ हेतु उनकी काॅलोनीज के लिये पृथकतः घरेलू कनेक्शन उपलब्ध करवा सकती थी। यधपि जैसा कि अतिरिक्त शपथ पत्र द्वारा इंगित किया गया है कि पृथकतः घरेलू कनेक्शन के लिये आवश्यक शुल्कनामा, लागत एवं खर्चे का भुगतान नही किया गया था। दूसरी तरफ अपीलार्थी अपने कर्मचारियो को निर्बाध आपूर्ति देने के लिये उनकी आवासीय काॅलोनी के लिये बिजली प्राप्त कर रहा था। उन परिस्थितियो में तथा अतिरिक्त शपथ पत्र में वणिर्त विशिष्ट सूचनाओ, विशेषतः पैरा 4, 8, 12 व 15 में वर्णित सूचनाओ के परिप्रेक्ष्य में हम अपीलार्थी द्वारा उठाये गये आधारो को स्वीकार करने असमर्थ है।

(10) जो सामग्री हमारे समक्ष रखी गई है, हम इस बात से संतुष्ट है कि अपीलार्थी ने उपभोक्ता होते हुये सर्विस कनेक्शन नंबर 1008 के माध्यम से बिजली का उपभोग किया और उसका उसको भुगतान करना पड़ेगा। हमारा यह भी मत है कि अपीलार्थी, भारतीय बिजली अधिनियम, बिजली आपूर्ति अधिनियम में बनाये गये नियमो तथा विनियमों के

प्रावधानो की पालना करते हुये प्रत्यर्थी के समक्ष आवश्यक शुल्क, मूल्य को जमा करवाकर उनके कर्मचारियो को आवासीय कॉलोनी के लिये पृथकतः बिजली कनेक्शन के लिये प्रभावी प्रयास कर सकता था, जिसमें वह असफल रहा। सभी सुसंगत पहलुओ पर सही तरह से विचार कर उच्च न्यायालय ने सही खारिज की है। अत्यधिक बकाया एवं जमा सुरक्षा राशि के असमायोजन के लिये की गई, वैकल्पिक प्रार्थना उच्च न्यायालय के समक्ष नही की गई थी, और अब प्रथमतः हमारे समक्ष नही की जा सकती है। यदि बकाया राशि गणना में किसी प्रकार की गल्ती दिखाई दे रही हो तो, अपीलार्थी उस मुद्दे को प्रतिवादी के साथ पृथक से उठाने के लिये स्वतंत्र है।

(11) हम हस्तक्षेप के लिये कोई आधार नही पाते है। परिणामस्वरूप अपील असफल होने पर खारिज की जाती है। हालांकि व्यय के संबध में कोई आदेश नही होगा।

के. के. टी.

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी तारा अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।